प्रेस नोट
सराहनीय कार्य दिनाँक 01.06.24
सर्विलांस सेल व थाना सिंधौली पुलिस की संयुक्त टीम को मिली बड़ी सफलता
सर्विलांस सेल व थाना सिंधौली पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा अपहृत बच्चे को किया सकुशल बरामद ।

थाना क्षेत्र सिधौली जनपद शाहजहाँपुर के क्षेत्रान्तर्गत स्थित गाँव तेरा दिनांक-27.05.2024 को हिमांशू गौतम उम्र करीब 17 वर्ष को अज्ञात व्यक्ति द्वारा ले जाने के सम्बंध में वादी मुकदमा श्री रवेन्द्र कुमार अटल पुत्र तोताराम निवासी ग्राम तेरा थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर की तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक-28.05.2024 थाना हाजा पर मु0अ0सं0-283/2024 धारा-363 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

श्री अशोक कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, श्री मनोज कुमार अवस्थी,अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं श्री पंकज पंत, क्षेत्राधिकारी पुवायां के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सिंधौली के नेतृत्व मे सर्विलांस व सिंधौली पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा मु0अ0सं0-283/2024 धारा-363 भादवि से सम्बन्धित अपहृत हिमांशू गौतम पुत्र रवेन्द्र कुमार अटल उम्र करीब 17 वर्ष निवासी ग्राम तेरा थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर के सम्बध में प्रभारी निरीक्षक थाना सिंधौली के CUG नम्बर-9454404223 पर सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृत हिमांशू गौतम उपरोक्त थाना लोनार जनपद हरदोई क्षेत्रान्तर्गत सीएचसी बवाना में दाखिल है, जो जेरे ईलाज है, इस सूचना पर सी0एच0सी0 बवाना थाना लोनार जिला हरदोई से अपहृत हिमांशू गौतम को सकुशल बरामद किया गया एवं धारा-161 दं0प्र0सं0 के बयान अंकित कर बयानों की वीडियोग्राफी की गयी। अपहृत हिंमाशू गौतम के कथन अन्तर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 मा0 न्यायालय के समक्ष अंकित कराये जायेंगे।

बरामद अपहृत का विवरणः-

1-हिमांशू गौतम पुत्र रवेन्द्र कुमार अटल उम्र करीब 17 वर्ष निवासी ग्राम तेरा थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर सम्बन्धित मु0अ0सं0-283/2024 धारा-363 भादवि।

बरामदगी का दिनाँक /स्थानः-

दिनाँक 31.05.24 को व स्थान सी0एच0सी0 बवाना थाना लोनार जिला हरदोई।

पूछताछ/बयान अपहृत

हिमांशू गौतम पुत्र रविन्द्र कुमार अटल निवासी ग्राम तेरा थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर उम्र 17 वर्ष 10 माह 4 दिन ने पूछने पर बताया कि साहब मेरे माता पिता व मेरी लड़ाई लगभग एक माह पूर्व सर्वेश के लड़के आदित्य और अंशु से गाय को लेकर मार पीट हो गयी थी। बब्लू ने मेरे माता पिता को गन्दी गन्दी गालियां दी थी और लड़ाई के दौरान बब्लू ने कहा कि मैं तेरी पढ़ाई व नौकरी नहीं लगने दूंगा, हम अपनी एक लड़की को ले जाकर 376 का मुकदमा तेरे खिलाफ लिखवा देंगे। यह घटना दिनांक-13.04.2024 को हुयी थी तथा दोबारा दिनांक-15.05.2024 को मेरे दोस्त शिवम पर भी झूठा आरोप लगा रहे थे। मैं दिनांक-27.05.2024 को अपने घर से बैंक सिधौली आया और सिधौली एसबीआई बैंक से 3500 रुपये निकाले थे। मैं सिधौली से शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन गया और वहाँ से ट्रेन से बरेली होते हुए दिल्ली पहुँचा था। दो दिन दिल्ली व नोएडा में स्टेशन पर ही रुका। दिनांक-दिनांक-29.05.24 शाम को मैं दिल्ली से अलीगढ़ चला गया और दिनांक- 30.05.2024 को सुबह अलीगढ से फर्रुखाबाद आ गया था। फर्रूखाबाद में रोडवेड बस स्टैण्ड से करीब एक किमी0 आगे हनुमान मंदिर में रुका तथा दिनांक-31.05.24 को मैं सुबह के समय हरदोई के लिए आ रहा था, हरदोई से करीब 10 किमी पहले मैं बस से उतर गया और बस से उतर कर पैदल-पैदल एक सड़क पर करीब एक किमी0 चला। रास्ते में मुझे एक सफेद कपड़ा पड़ा हुआ मिला, जिसे फाड़कर मैंने पुलिया के पास अपने हाथ पैर बाँधकर सड़क के किनारे लेट गया, कुछ समय पश्चात पुलिस वाले आये और मुझे टैम्पू में बैठाकर अस्पताल ले गये।

अपहृत को बरामद करने वाले टीम का विवरणः-

1. प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर।
2. उप निरीक्षक बलराज सिंह थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर।
3. का0 शिवम कुमार, सर्विलांस सेल शाहजहाँपुर।
4. का0 प्रभात चौधरी, सर्विलांस सेल शाहजहाँपुर।
5. का0 मुकुल खोखर, सर्विलांस सेल शाहजहाँपुर।
6. का0 सचिन यादव, सर्विलांस सेल शाहजहाँपुर।
7. आरक्षी 2096 अजय कुमार थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर।